नलकूप खण्ड–बस्ती।

सूचना का अधिकार अधिनियम का समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में 16 बिन्दुओं पर आख्या।

क्र	बिन्दु	उत्तर
1	2	3
1.	अपने संगठन की विशिष्टयों, कृत्य और कर्तव्य	नलकूप खण्ड–बस्ती में 418 अद्द चलित नलकूप एवं 30 क्यूसेक क्षमता की बस्ती पम्प नहर है। जिससे बस्ती जनपद के तहसील–हर्रैया, बस्तीसदर एवं भानपुर की जनता को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। खण्ड के अन्तर्गत नलकूपों एवं बस्ती पम्प नहर के रख–रखाव का कार्य किया जाता है। उक्त कार्यो के सम्पादन हेतु चार उपखण्ड है। प्रथम उपखण्ड का मुखयला–हर्रैया,द्वितीय उपखण्ड–भानपुर एवं तृतीय तथा चतुर्थ उपखण्ड–बस्ती में स्थित है।
2.	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	
	1– अधिशासी अभियन्ता 2– सहायक अभियन्ता 1/2/3/3 3– उपराजस्व अधिकारी 4– खण्डीय लेखाकार 5– अवर अभियन्ता 6– अनुसचिवीय अधिष्ठान 7– राजस्व अधिष्ठान 8– ड्राइंग स्टाफ 9– चतुर्थ श्रेणी	खण्ड के अन्तर्गत उपखण्डों के समस्त कार्यो का नियंत्रण । उपखण्ड के अन्तर्गत आवंटित कार्यो का सम्पादन। मुख्यतः सींच सम्बन्धी कार्यो का सम्पादन। वित्तीय हस्तपुस्तिका का खण्ड–6 के पैरा 98 में निहित मुख्यतः लेखाओं का संग्रहकर्ता तथा बाउचर्स इत्यादि की जांचकर्ता एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यो का सम्पादन। कार्यस्थल पर कार्यो को मानको एवं गुणवत्ता के साथ करना। कार्यालय के पत्रावलियों का सम्पादन एवं अभिलेखों का रख–रखाव। राजस्व सम्बन्धी कार्यो का सम्पादन। ड्राइंग सम्बन्धी कार्यो का सम्पादन। अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन।
3.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया से पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	उपखण्ड में कराये गये कार्यो का निरीक्षण तथा कार्यो की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना/कराना।
4.	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।	नलकूपों एवं बस्ती पम्प नहर द्वारा कृषको को सिंचाई उपलब्ध कराना एवं कृषको की समस्याओं का समाधान करना तथाउपखण्डीय अधिकारियों को कृषको की समस्याओं का निराकरण हेतु निर्देशित कर निराकरण करना।
5.	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख।	विभाग में उ0प्र0 राज्य सरकार कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली लागू है। कार्यो के सम्पादन के लिए विभाग का मैनुअल है वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधान एवं शासन व प्रमुख अभियन्ता मु0अ0न0पू0 /अधी0 अभियन्ता द्वारा जारी शानादेशों/आदेशों का पालन करने हेतु अधीनस्थ उपखण्डीय अधिकारियो को निर्देशित व सुनश्चित करना। कार्यो का सम्पादन सिंचाई विभाग की विशिष्ट एवं लागू निर्णय नियमों के अनुरूप कराया जाना एवं कार्यो अभिलेखों का रख–रखाव नियमों के अनुसार किया जाना तथा अधीनस्थ सहा0अभियन्ताओं को तदानुसार निर्देशित करना।
6.	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्नो का विवरण।	अभिलेखों का वर्गीकरण सिंचाई विभाग मैनुअल में निर्धारित अभिलेखों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये प्राविधन के अनुसार कराया जाना।
7.	किसी व्यवथा की विशिष्टयां जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	खण्ड के अनतर्गत प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को विकास भवन बस्ती पर सिंचाई बन्धु समिति की बैठक आमंत्रित की जाती है। जिससे अन्तर्गत कृषको की सतस्याओं पर उनसे विचार विमर्श उपरान्त समाधान किया जाता है।
8.	ऐसे बोर्ड़ो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बार में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली रहेंगी या ऐसे बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।	जनपद स्तर पर गठित समितियों से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है।
9.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	कार्यालय दूरभाष–05542–246836 नलकूप खण्ड–बस्ती। अधि0अभि0 मो0 नं0–9454415203

शेष–2–पर

10.	अपने प्रत्येक अधिकारी /कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उनसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के आधार पर है।			
		पद	वेतनमान्	पद	वेतनमान्
		अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता उपराजस्व अधिकारी अवर अभियन्ता लेखाकार मुख्य लिपिक वरिष्ठ सहायक आशुलिपिक प्रारूपकार वरिष्ठ लिपिक कनिष्ठ लिपिक सर्वेयर वाहन चालक जिलेदार सींचपर्यवेक्षक सेक्शन मिस्त्री	15600–39100 15600–39100 9300–34800 9300–34800 9300–34800 9300–34800 5200–20200 5200–20200 5200–20200 5200–20200 5200–20200 5200–20200 5200–20200 5200–20200 5200–20200 5200–20200	हेड मंन्शी मुन्शी/सींचपाल/अनुरेखक/ पम्प आपरेटर/फिटर/स0 सर्वेयर /भण्डारपाल/टर्नर/रिवाइडंर/ मैकेनिक/मैकेनिक ग्रेड–।।।/विद्युतकार। डाक नबीस/मेट/रनर/ चपरासी बेलदार/क्लीनर/लुहार/हेल्पर/चौक ीदार/माली/वर्कन्दाज/स्वीपर/पानी वाला	5200–20200 5200–20200 4440–7440
11.	सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविवरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टयां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभीकरण को आवंटित बजट।	अनुदान संख्या–95 के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ता, यात्रा भत्ता कार्यालय व्यय, विद्युत, दूरभाष गाड़ियों का अनुरक्षण आदि मदों में प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक द्वारा बजट आवंटित होता है। नलकूपों/नहरों के अनुरक्षण आदि के लिए वित्तीय अनुरक्ष्ज्ञण एवं मरम्मत आदि अनुदान संख्या–96 के अन्तर्गत बजट आवंटित होता हैं।			
12.	सहायिकी कार्यक्रमों निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहयों के व्यौरे सम्मिलित है।	इस तरह से कोई व्यवस्था विभाग में नही है।			
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायती, अनुज्ञा–पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टयां।	––––तदैव––			
14.	किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके धारित हो।	विभाग में कम्प्यूटर, फैक्स, उपलब्ध है। इण्टरनैट अभी चल स्थिति में नही है।			
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्ठयां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घण्टें सम्मिलित है।	भारत का कोई भी नागरिक वांछित सूचना कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में नियमानुसार प्राप्त कर सकता है।			
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टयां।	सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत जनपद–बस्ती सिंचाई विभाग नलकूप खण्ड–बस्ती हेतु सूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियन्ता नलकूप पूर्व सिंचाई विभाग,उ0प्र0फैजाबाद के अधीनस्थ नामित हो निम्नवम् है। (1) श्री वी0के0 अग्रवाल — अधीक्षण अभियन्ता, अपीलीय अधिकारी, नलकूप मण्डल–बस्ती। (2) श्री वीरेन्द्र सिंह — अधिशासी अभियन्ता, जनसूचना अधिकारी, नलकूप खण्ड–बस्ती। (3) श्री रमाशंकर गुप्ता — सहायक अभियन्ता, सहायक जनसूचना अधिकारी, नलकूप खण्ड–बस्ती।			

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड–बस्ती